यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

ठासीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
ाजस्व वाद संख्या : **205/2008**
CMS NO. : **2008/00040**

–: वादी :–

1. बलदेव पुत्र छोटू
2. साबु पुत्र छोटू जातियान– गुर्जर, निवासी– गुड़ाहेमड़ाई, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राजस्थान।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण, तहसील जैतारण।

राजस्व वादबाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

तारीख रजूः– 25.08.2008

1. श्री देवाराम कटारिया अधिवक्ता, वादी।
2. सरकार राज पैरोकार, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः–27/06/2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया है कि राजस्व मौजा ग्राम गुड़ाहेमड़ाई पटवार क्षेत्र सेवरिया रास में खसरा नं 1629/25 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि वादीगण की कब्जे काश्त की आई हुई है। वादीगण की वंशवृक्षावली निम्न प्रकार है :–

आम्बा उर्फ अमरा (फौत)

⇩

छोटू (फौत)

बलदेव ← → साबू (वादीगण)

उपरोक्त वंशवृक्षावली अनुसार वादीगण का वंश चला आ रहा है तथा वादीगण के परिवार वाले अनपढ़ होने से पिता का नाम पूर्व में लिखाते हैं तथा पुत्र का नाम बाद में लिखाते है। छोट्टू पुत्र अमरा उर्फ आम्बा लिखा जाना था लेकिन पिता का नाम पहले लेने से आम्बा पुत्र छोटू राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया जो कि एक रोंग एन्ट्री है असल में उक्त भूमि छोट्टू पुत्र अमरा पुत्र आम्बा के नाम नियमन हुई थी तथा उसके बाद म्यूटेशन संख्या – 446 दिनांक 07.06.72 को श्रीमान के आदेश क्रमांक 626/72 के उक्त नाम आम्बा पुत्र छोटा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया जो गलती से राजस्व रेकर्ड में रोंग एन्ट्री दर्ज की गयी जबकि आम्बा पुत्र छोटू नाम से गांव गुड़ाहेमड़ाई में कोई भी व्यक्ति नहीं है। उक्त भूमि छोट्टू पुत्र आम्बा उर्फ अमरा के नाम नियमन होने के बाद से लगातार छोटू का कब्जा व काश्त रहा है तथा उसके बाद छोटू फौत होने के बाद उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा व काश्त है तथा वर्तमान में भी फसल बोई हुई है इसलिये वादीगण इस रोंग एन्ट्री को राजस्व रेकर्ड से हटवाने का अधिकारी है। तथा स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar
Date: 2024.08.24 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

तेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। छोटू के फौत होने के बाद वादीगण ने पने म्यूटेशन भरवाना चाहा लेकिन प्रतिवादी ने म्यूटेशन भरने से मना कर दिया तथा क भुमि से बेदखल करने की धमकी दी जबकि करीब 50 वर्षो से उक्त भूमि पर दीगण व उनके पिता का कब्जा काश्त रहा तथा उक्त भुमि वादीगण के पिता के नाम यमन हुई इसलिए वादीगण बतौर काश्कार राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का नूनन विधिक अधिकारी है। लेकिन प्रतिवादी ने दिनाकं 6.8.2008 को नाम दर्ज करने मना कर दिया व बेदखल करने की धमकी दी बिनाय दावा दिनाक 6.8.2008 को तिवादी द्वारा उक्त भुमि में खातेदार दर्ज करने से मना करने व बेदखल करने की धमकी ने पुर बमुकाम- जैतारण में उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब दावा पेश किया जो शा. मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब दावा में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम गुड़ाहेमड़ाई के खसरा संख्या 1629 में नियमन आम्बा पुत्र छोटू के नाम 8 बीघा के बारे में खसरा परिवर्तन संवत 2026 से 29 का अवलोकन करने पर पाया कि संवत 2026 के खसरा परिवर्तनशील के क्रम सं. 348 पर आम्बा पुत्र छोटू सा. किड़गिचिवास हाल गुड़ा तथा संवत् 2027 के खसरा परिवर्तनशील के क्रम सं 243 पर आम्बा पुत्र छोटू सा. किड़गिचिवास हाल गुड़ा दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 446 का अवलोकन करने पर भी आम्बा पुत्र छोटा गुर्जर सा.देह. खातेदार दर्ज है। जिसके नाम से नियमन हुआ है। वक्त आवंटन आवेदन पत्र पूर्ण रुप से सही भरा जाकर पटवारी द्वारा बाद जांच पेश किया जाता है जिससे नाम व पिता के नाम में कोई त्रुटि नहीं होती है। अतः वाद काबिल खारिज फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार पत्रावली में विधि अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई :-

1. आया वादीगण वादगस्त आराजी राजस्व ग्राम गुडाहेमडाई जैतारण की खसरा संख्या 1629/25, रकबा 8-00 बीघा किस्म बारानी दोयम में छोटू पुत्र आम्बा उर्फ अमरा के वारिसान होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं? **जिम्मे वादी**
2. आया वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के उपरांत विरुद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं? **जिम्मे वादी**
3. आया वदग्रस्त आराजी का आवंटन/नियमन आम्बा पुत्र छोटा गुर्जर के नाम होने एवं इसी अनुरुप नामांतरण होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है? **जिम्मे प्रतिवादी**
4. अन्य अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:25:09 IST
Reason: Self Attested

पत्रावली में उभयपक्षान ... सुनी गई। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है :-

1. वादीगण द्वारा राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

किया है कि राजस्व मौजा ग्राम– गुड़ाहेमड़ाई, पटवार क्षेत्र– सेवरिया, रास में कृषि भूमि खसरा नं 1629/25 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी दोयम इन्द्राज है। वादीगण अनुसार असल में यह भूमि छोटू पुत्र आम्बा उर्फ अमरा के नाम नियमन हुई थी लेकिन पिता का नाम पहले लेने से आम्बा पुत्र छोटू राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या – 446 दिनांक 07.06.72 को न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक 626/72 के उक्त नाम आम्बा पुत्र छोटा राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज कर दी।

2. वादी अनुसार वादी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज उक्त रोंग एन्ट्री को हटवाने एवं स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

3. वादी अनुसार राजस्व रेकार्ड में एन्ट्री को दुरूस्त कर खातेदारी घोषणा की जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

4. प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब दावा में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम गुड़ाहेमड़ाई के खसरा परिवर्तनशील संवत् 2026–2029 के अवलोकन से पाया गया कि संवत् 2026 के खसरा परिवर्तनशील के क्रम सं. 348 पर आम्बा पुत्र छोटू सा. किड़गिचिवास हाल गुड़ा तथा संवत् 2027 के खसरा परिवर्तनशील के क्रम सं 243 पर आम्बा पुत्र छोटू सा. किड़गिचिवास हाल गुड़ा दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 446 का अवलोकन करने पर भी आम्बा पुत्र छोटा गुर्जर सा.देह. खातेदार दर्ज है। जिसके नाम से नियमन हुआ है। वक्त आवंटन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही भरा जाकर पटवारी द्वारा बाद जांच पेश किया जाता है जिससे नाम व पिता के नाम में कोई त्रुटि नहीं होती है।

5. वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी आधार वर्ष 2005, नामान्तरकरण संख्या 446 तथा नियमन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 07.06.1972 के बैठक कार्यवाही सम्बन्धित रजिस्टर की प्रमाणित प्रति फॉर्म नम्बर 3 के जरिए प्रस्तुत किया। वादी की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान–2010 के तहत सेवरिया में आयोजित शिविर दिनांक 12.11.2010 को गवाह के रूप में एक साथ ही काना वल्द लादू जाति गुर्जर, मैंदु पुत्र लादू जाति गुर्जर, नैनाराम पुत्र भैरूजी जाति गुर्जर व मैंदु पुत्र हरजी जाति गुर्जर की ओर से प्रार्थना पत्र के स्वरूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किए है।

6. पैरोकार सरकार तहसीलदार जैतारण द्वारा उसी दिन दिनांक 12.11.2010 को प्रशासन गांवों के संग शिविर अभियान–2010 ग्राम सेवरिया में खसरा नम्बर 1629/25 के नियमन संबंधी पत्रावली एवं नियमन अवधि से पूर्व के खसरा परिवर्तनशील संवत् 2026 से 2028 के आधार पर जांच रिपोर्ट एवं जवाब दावा प्रस्तुत किए है।

उपर्युक्त विवेचन एवं वाद पत्र में प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण का तनकीवार निर्णयन निम्नानुसार है :-

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वादीगण वादगस्त आराजी राजस्व ग्राम गुड़ाहेमड़ाई, जैतारण की खसरा संख्या 1629/25, रकबा 8.00 बीघा किस्म बारानी दोयम में छोटू पुत्र आम्बा उर्फ अमरा के वारिसान होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं? – **जिम्मे वादी**

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड–अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं बिन्दुओं में वादगस्त आराजी राजस्व ग्राम गुडाहेमड़ाई, जैतारण की खसरा संख्या 1629/25, रकबा 8-00 बीघा किस्म बारानी दोयम में खातेदार काश्तकार घोषित करने के लिए वाद प्रस्तुत कर बताया कि खसरा संख्या 1629/25 रकबा 8-00 बीघा किस्म बारानी दोयम वादीगण के कब्जे काश्त की आई हुई है। उक्त भूमि छोटू पुत्र अमरा उर्फ आम्बा के नाम नियमन हुई थी। जो म्यूटेशन संख्या 446 दिनांक 07.06.1972 से आम्बा पुत्र छोटू के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई जो कि रोंग एन्ट्री है। वादीगण उक्त एन्ट्री को राजस्व रेकॉर्ड से हटवाकर स्वंय को खातेदार/काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी आधार वर्ष 2005, नामान्तरकरण संख्या 446 तथा नियमन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 07.06.1972 के बैठक कार्यवाही सम्बन्धित रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पेश की गई। उक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन एवं अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात नियमन हेतु दिनांक 07.06.1972 को सेवरिया में हुई बैठक में भूमि आवंटन एवं नियमन कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से खसरा संख्या 1629 में से 08-00 बीघा भूमि का नियमन आम्बा वल्द छोटा गुर्जर के नाम किया गया जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नियमन आदेश की सूची में क्रम संख्या 02 पर स्पष्ट उल्लेखित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 446 की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि पटवारी सेवरिया द्वारा प्रतिलिपि रजिस्टर पी-35 के क्रम संख्या 162 दिनांक 05.02.2007 को जारी से भी स्पष्ट प्रमाणित होता है कि नियमन आदेश संख्या 626 दिनांक 07.06.1972 की पालना में यह कृषि भूमि आम्बा पुत्र छोटा गुर्जर के नाम दर्ज हुई है।

साथ ही पैरोकार सरकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं जांच रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम गुड़ाहेमड़ाई के खसरा परिवर्तनशील संवत् 2026-2029 के अनुसार संवत् 2026 के खसरा परिवर्तनशील के क्रम सं. 348 पर आम्बा पुत्र छोटू सा. किड़गिचिवास, हाल गुड़ा तथा संवत् 2027 के खसरा परिवर्तनशील के क्रम सं 243 पर आम्बा पुत्र छोटू सा. किड़गिचिवास हाल गुड़ा दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 446 का अवलोकन करने पर भी आम्बा पुत्र छोटा गुर्जर सा.देह. खातेदार दर्ज है जो कि नियमन आदेश अनुरूप हुआ है। वक्त आवंटन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही भरा जाकर पटवारी द्वारा बाद समुचित जांच पेश किया जाता है जिससे नाम व पिता के नाम में कोई त्रुटि नहीं होती है।

उपर्युक्त समस्त दस्तावेजी एवं [illegible] के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि आम्बा [illegible] की खातेदारी भूमि है जिसमें वादीगण अपना कोई हक अधिकार नहीं रखते। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्वंय से सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए है और न ही खातेदार आम्बा पुत्र छोटा से अपना सम्बन्ध स्थापित करने मे सफल रहे है। वादीगण द्वारा इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

आधारभूत गवाही अपने वादपत्र के समर्थन में नहीं पेश की है। वादीगण द्वारा बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रमाणों के केवल मात्र अपनी वादपत्र की प्लीडिंग के आधार पर ही खातेदारी घोषणा करवाने चाहते है जो कि कानूनन सम्भव नहीं है। वादीगण के दावे मात्र से ही किसी सद्भावी काश्तकार की खातेदारी कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकॉर्ड की एन्ट्री को विलोपित नहीं किया जा सकता तथा न ही बिना किसी कानूनी आधार व दस्तावेजी साक्ष्यों के खातेदारी घोषणा करवा सकता है। वादीगण इस तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसे में यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के उपरांत विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं? **जिम्मे वादी**

चूंकि वादीगण तनकी संख्या 01 को अपने पक्ष में साबित करने तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष पाने में विफल रहे है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल अभिलिखित खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः वादीगण इस तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसे में यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी सारहीन होने से काबिल-ए-निरस्त है।

3. आया वादग्रस्त आराजी का आवंटन/नियमन आम्बा पुत्र छोटा गुर्जर के नाम होने एवं इसी अनुरूप नामांतरण होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है? **जिम्मे प्रतिवादी**

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे था जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं साक्ष्य सबूतों से निर्णित होना है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी आधार वर्ष 2005, नामान्तरकरण संख्या 446 तथा नियमन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 07.06.1972 के बैठक कार्यवाही सम्बन्धित रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पेश की गई। उक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन एवं अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात नियमन हेतु दिनांक 07.06.1972 को सेवरिया में हुई बैठक में भूमि आवंटन एवं नियमन कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से खसरा संख्या 1629 में से 08-00 बीघा भूमि का नियमन आम्बा वल्द छोटा गुर्जर के नाम किया गया जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नियमन आदेश की सूची में क्रम संख्या 02 पर स्पष्ट उल्लेखित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 446 की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि पटवारी सेवरिया द्वारा प्रतिलिपि रजिस्टर पी-35 के क्रम संख्या 162 दिनांक 05.02.2007 को जारी से भी स्पष्ट प्रमाणित होता है कि नियमन आदेश संख्या 216 दिनांक 07.06.1972 की पालना में यह कृषि भूमि आम्बा पुत्र छोटा गुर्जर के नाम दर्ज हुई है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 12.11.2010 अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम गुड़ाहेमड़ाई के खसरा परिवर्तनशील संवत् 2026-2029 के अनुसार संवत् 2026 के खसरा परिवर्तनशील के क्रम सं. 348 पर आम्बा पुत्र छोटू सा. कहगिचिवास, हाल गुड़ा तथा संवत् 2027 के खसरा परिवर्तनशील के क्रम सं

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (पाली)

43 पर आम्बा पुत्र छोटू सा. किड़गिचिवास हाल गुड़ा दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 46 का अवलोकन करने पर भी आम्बा पुत्र छोटा गुर्जर सा.देह. खातेदार दर्ज है जो नियमन आदेश अनुरूप हुआ है। वक्त आवंटन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही भरा कर पटवारी द्वारा बाद समुचित जांच पेश किया जाता है जिससे नाम व पिता के नाम कोई त्रुटि नहीं होती है। उपर्युक्त समस्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि आम्बा पुत्र छोटा की खातेदारी भूमि है जिसमें वादीगण अपना कोई हक अधिकार नहीं रखते। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्वंय से सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए है और न ही खातेदार आम्बा पुत्र छोटा से अपना सम्बन्ध स्थापित करने मे सफल रहे है। वादीगण द्वारा इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं आधारभूत गवाही अपने वादपत्र के समर्थन में नहीं पेश की है। वादीगण द्वारा बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रमाणों के केवल मात्र अपनी वादपत्र की प्लीडिंग के आधार पर ही खातेदारी घोषणा करवाने चाहते है जो कि कानूनन सम्भव नहीं है। अतः वादीगण का राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं दस्तावेजों के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि वादी द्वारा न्यायालय को गुमराह करने की नियत से न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य प्रकट नहीं किये है एवं वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अतः हम वादी का वाद भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा पृथक् से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाँक 27/06/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुंदर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला– ब्यावर (राज.)

(श्याम सुंदर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला– ब्यावर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
ईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. बलदेव पुत्र छोटू 2. साबु पुत्र छोटू जातियान– गुर्जर, निवासी– गुड़ाहेमड़ाई, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राजस्थान।		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण, तहसील जैतारण।

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 205/2008

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री अरुण कुमार प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–...... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सरकारी पैरोकार राज सरकार, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/06/2024 को जारी किया गया ।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	मेहनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	11–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	14–00	मिजानः–	– Nil –

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरी[illegible] को [illegible]हे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested